श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय स°वि°स° से प्राप्त याचिका संख्या-275/26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत प्रखंड रक्सौल के ग्राम पंचायत-भेलाही, पुरन्दरा, लौकरिया एवं परसौना तपसी आस-पास के क्षेत्रों के निवासी आपसे याचना करते हुए कहना चाहते हैं कि भेलाही से निकलकर गाद बहुअरी की तरफ जाने वाली गाद नदी की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। नदी में अत्यधिक गाद (सिल्ट) जमा होने के कारण इसकी जल संग्रहण क्षमता घट गई है। इसके अतिरिक्त, नदी पर पूर्व से निर्मित तटबंध अत्यंत जर्जर और कमजोर हो चुका है। तटबंध के मजबूत न होने के कारण मानसून के समय सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है और जलभराव के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि को भारी नुकसान पहुँचता है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण को 07/07/24 को अवगत कराया गया है। अतः हम सभी ग्रामीण लोग बिहार विधानसभा की याचिका समिति से इस नदी की गाद सफाई और तटबंध निर्माण कार्य अतिशीघ्र करवाने की याचना करते हैं।	वस्तुस्थिति यह है कि गाद नदी नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से निकली है तथा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल प्रखंड के गाम पलनवा में प्रवेश करती है तथा प्रश्नगत ग्राम-पंचायत भेलाही, पुरन्दरा लौकरिया एवं परसौना तपसी आदि होते हुये ग्राम अधकपरिया के निकटा सिकरहना नदी में मिलती है। नदी तल में **सामान्य रुप** से गाद है। रक्सौल प्रखंड के ग्राम सिरसिया निजामत से ग्राम अधकपरिया तक गाद नदी के बायें भाग में **गाद मार्जिनल बांध लगभग 10.50 कि.मी.** की लम्बाई में निर्मित है एवं नदी का दायां भाग तटबंधित नहीं है। नदी के जलस्तर बढ़ने पर नदी के पानी का फैलाव दायीं ओर होता है परन्तु बायें भाग में बांध के कंट्री भाग में पानी नहीं फैलता है। नदी में जल स्तर की वृद्धि होने पर यह बांध बाढ़ से बचाव में प्रभावी है। बांध कतिपय स्थलो पर अपने रूपांकित सेक्शन में नहीं है। बाढ़ से सुरक्षा के मद्देनजर समय समय पर इस बांध की मरम्मति एवं संपोषण करा कर बांध को सुरक्षित रखा जाता है। **बाढ़ 2026 पूर्व ग्राम नौका टोला** के समीप इस बांध पर कटाव निरोधी कार्य कराया गया है एवं बाढ़ अवधि में सतत निगरानी एवं चौकसी बरती जाती है तथा आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है।

P.T.O

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0स0या0(मुज0)–07–01/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–181 दिनांक–06.04.2026 के प्रसंग में याचिका सं0–275/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0या0(मुज0)–07–01/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0या0(मुज0)–07–01/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0या0(मुज0)–07–01/2026– 2483 पटना, दिनांक– 05/08/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo